(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

अधिसूचना
संख्या 8/2017-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च, 2017

सा.का.नि. (अ).- जबकि चीन जनवादी गणराज्य (जिसे यहां विषयगत देश के रूप में संदर्भित किया गया है) में मूल रूप से उदगमित अथवा वहां से निर्यात किए जाने वाले तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष 2809 20 के अंतर्गत आने वाले फास्फोरिक अम्ल-तकनीकी ग्रेड और खाद्य ग्रेड (औद्योगिक ग्रेड सहित) [यहां जिन्हें विषयगत वस्तु के रूप में संदर्भित किया गया है] के आयात के मामले में पदनामित प्राधिकरण ने, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड 1, में दिनांक 8 नवंबर, 2013, को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 15/1010/2012-डीजीएडी, दिनांक 8 नवंबर, 2013, में दिए गए अपने अंतिम निष्कर्षों के तहत निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत वस्तुएं भारतीय बाजार में पाटित और क्षतिग्रस्त मूल्यों पर प्रवेश कर रही थीं;
(ii) विषयगत वस्तुओं का विषयगत देशों से आयात, मौजूदा प्रतिपाटन ड्यूटी के बावजूद पाटित मूल्यों पर किया जा रहा है;
(iii) मौजूदा प्रतिपाटन ड्यूटी के समाप्त हो जाने की अवस्था में इस बात की संभावना थी कि विषयगत देश पाटित और क्षतिग्रस्त मूल्यों पर विषयगत वस्तुओं को भारत में प्रथ्यावर्तित करेगा।

और विषयगत देश में मूल रूप से उदगमित अथवा वहां से निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तुओं के आयात पर संशोधित दरों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना जारी रखने की सिफारिश की थी।

और जबकि पदनामित प्राधिकरण के उक्त निष्कर्षों के आधार पर केंद्र सरकार ने, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i), में सा.का.नि. 811(अ) के तहत दिनांक 31 दिसंबर, 2013, को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 33/2013-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 31 दिसंबर, 2013, के अंतर्गत विषयगत वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जबकि, मैसर्स गौआंजी क्वीन्जो कैपीटल सक्सैस केमिकल कंपनी लि० (उत्पादक अथवा निर्यातक) ने सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित मदों पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995, के नियम 22 की शर्तों के अनुसार, उनके द्वारा विषयगत वस्तुओं के किए गए निर्यात के संबंध में समीक्षा का अनुरोध किया है और पदनामित प्राधिकरण ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1, दिनांक 9 फरवरी, 2017, में प्रकाशित नई शिपर समीक्षा अधिसूचना संख्या 15/5/2016- डीजीएडी दिनांक 9 फरवरी, 2017, के अंतर्गत उक्त वर्णित पार्टी द्वारा विषयगत वस्तुओं के सभी प्रकार के आयात की, इसके द्वारा समीक्षा पूरे किए जाने तक अनंतिम निर्धारण किए जाने की सिफारिश की है;

और अब केंद्र सरकार सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित मदों पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995, के नियम 22 के उपनियम 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पदनामित प्राधिकरण की उक्त सिफारिश पर विचार करने के पश्चात एतदद्वारा यह आदेश देती है कि पदनामित प्राधिकरण द्वारा उक्त समीक्षा का परिणाम आने तक, मैसर्स गौआंजी क्वीन्जो कैपीटल सक्सैस केमिकल कंपनी लि० (उत्पादक अथवा निर्यातक) द्वारा विषयगत देश से मूल रूप से उदगमित अथवा निर्यात किए जाने वाली विषयगत वस्तुएं, भारत में आयात किए जाने पर समीक्षा के पूरा हो जाने तक अनंतिम निर्धारण के अध्यधीन रहेगी।

2. अनंतिम निर्धारण ऐसी प्रतिभूति अथवा गारंटी के अध्यधीन होगा, जैसा कि सीमाशुल्क का समुचित अधिकारी कमी का भुगतान, यदि कोई हो, के लिए उचित समझे, यदि पदनामित प्राधिकरण द्वारा जांच के पूरा हो जाने के पश्चात निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क भूतलक्षी प्रभाव से लगाया जाता है।

3 पदनामित प्राधिकरण द्वारा उक्त समीक्षा के पूरा किए जाने के पश्चात प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश के मामले में आयातक, समीक्षा के दौरान सिफारिश किए गए प्रतिपाटन शुल्क और मैसर्स गौआंजी क्वीन्जो कैपीटल सक्सैस केमिकल कंपनी लि० (उत्पादक अथवा निर्यातक) द्वारा विषयगत देश से उदगमित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तुओं के भारत में आयात किए जाने पर ऐसी विषयगत वस्तुओं के सभी प्रकार के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की ऐसी धनराशि का, उक्त समीक्षा के प्रारंभ होने की तारीख से भुगतान करने के लिए दायी होगा।

[फा.सं.354/87/2007-टीआरयू (पार्ट-II)]

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार